संख्या-746/2017/65/22-2-2017-17(235)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 2017**

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवकुमार सिंह पुत्र श्रीराम सिंह निवासी जनपद-बांदा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-197213/पर-2/सलाहकार समिति/ (एम 22-12-2016) दिनांक 03-01-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवकुमार सिंह पुत्र श्रीराम सिंह निवासी ग्राम-पपरेंदा, थाना-चिल्ला, जनपद-बांदा का रहने वाला है। जमीनी विवाद को लेकर चल रही मुकदमेबाजी एवं रजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 02-04-1986 को प्रातः लगभग 09.30 बजे बन्दूक एवं पिस्तौल से गोली मारकर विजय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 177/1986 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148 302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), बांदा द्वारा दिनांक 19-12-1987 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11-08-1999 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.12.2016 तक 18 वर्ष 02 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 09 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 08-12-2016 तक बन्दी की आयु 60 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। क्रिमि0 रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-12-2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(आ0व0 अधि0), बांदा द्वारा कारागार को उपलब्ध कराये गये अभिमत में कहा गया है कि यदि शिवकुमार सिंह द्वारा जुर्माने की राशि अदा कर दी गयी हो तथा वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं हो तो इन्हे धारा-432 दं0प्र0सं0 का लाभ दिया जा सकता है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि जमीनी विवाद को लेकर चल रही मुकदमेबाजी एवं रंजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 02-04-1986 को प्रातः लगभग 09:30 बजे बन्दूक एवं पिस्तौल से गोली मारकर विजय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बन्दी का पूर्व आपराधिक इतिहास है तथा 10 आपराधिक मामले पंजीकृत हुए हैं। अतः बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवकुमार सिंह पुत्र श्री श्रीराम सिंह, निवासी जनपद-बांदा को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिव कुमार सिंह पुत्र श्रीराम सिंह, निवासी जनपद-बांदा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-746/2017/65(1)/22-2-2017 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।